



Neutral Citation No. - 2026:AHC:44569

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 7821/2026

सीमा

----- याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 12 अन्य

----- प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : दीपक प्रजापति, सुरेश कुमार मौर्य

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : आशीष बाजपेयी, मुख्य स्थाई अधिवक्ता, रामेश्वर प्रसाद शुक्ल

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. इस मामले में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, निजी प्रतिवादी को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि निजी प्रतिवादी इस आदेश से व्यथित महसूस करता है, तो उसे आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 2/उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, लालगंज, आजमगढ़ को निर्देश दिया जाए कि वे U.P. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 116 के तहत दायर प्रकरण संख्या 1901/2025 (कम्प्यूटरीकृत प्रकरण संख्या T202515060101901) (अनिल कुमार बनाम श्रीवंत कुमार) का शीघ्रतापूर्वक निस्तारण करें।
4. यह मामला प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष काफी समय से लंबित है और काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, यह याचिका का इस निर्देश के साथ निस्तारण किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 2/उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, लालगंज, आजमगढ़, केस संख्या 1901/2025 का निर्णय करें; वे उक्त मामले का निर्णय कानून के अनुसार, अत्यंत शीघ्रता से और अधिमानतः प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर करें, लेकिन बिना किसी कानूनी बाधा के, अनावश्यक स्थगन न दें।
6. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष के आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया है।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

25 फरवरी, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।